

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
मुकदमा संख्या :- 204 / 2022
सीताराम बनाम राजस्थान सरकार
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट

नम्बर व स्थिति
अहमदाबाद जिल्ला हुक्म
हुक्म की तारीख
में जारी हुई

21/11/22

तहसीलदार झुंझुनू से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम झुंझुनू पटवार मंडल झुंझुनू में हाल खाला संख्या 1385 में राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार प्रार्थी का नाम भूलवश सीताराम पुत्र गंगला दर्ज है, जबकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, पहचान पत्र इत्यादि में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र गंगाराम है। प्रार्थना पत्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने से स्पष्ट है कि यह त्रुटि भूलवश हुई है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः संलग्न रिकार्ड एवं तहसीलदार झुंझुनू की अभिशंका के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट न्यायालय मत पर स्वीकार किया जाना उचित एवं न्यायोचित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाला थुम्ह करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद कर प्रालना करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से क्रम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अतः निर्णय आज दिनांक 21/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तारीख
हुक्म

स्पष्ट है कि प्रार्थी का नाम भूलवश सीताराम पुत्र गंगाराम है, जबकि प्रार्थना पत्र में प्रार्थी का नाम सीताराम पुत्र गंगला दर्ज है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार खाला थुम्ह करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार रिपोर्ट आदेश का अभिन्न भाग रहेगी। जमाबंदी के शेष इन्द्राज यथावत रहेंगे। तहसीलदार झुंझुनू को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरागद कर प्रालना करें। पत्रावली फ़ैशल शुमार होकर दर्ज नम्बर से क्रम हो एवं बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अतः निर्णय आज दिनांक 21/11/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जय खण्ड अधिकारी
झुंझुनू (त.र.)